निवेश प्रोत्साहन के लिए उद्यमियों को छह महीने में करना होगा आवदेन

अमर उजाला ब्यूरो

शर्तों का उल्लंघन करने पर स्वचालित रुप से निरस्त कर दिया जाएगा एलओसी

लखनऊ। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को नीति के तहत निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए नोडल संस्था के समक्ष छह महीने (13 अक्तूबर तक) की अवधि में आवेदन करना होगा। प्रोत्साहन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर अधिकतम एक वर्ष की अवधि में निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया जाएगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के दिशा निर्देश और क्रियान्वयन प्रक्रिया जारी की। उद्यमी को एलओसी जारी होने के छह महीने की अवधि में वाणिज्यिक बैंक से तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट नोडल संस्था को प्रस्तुत करनी होगी। प्रोत्साहन की शर्तों का उल्लंघन करने पर एलओसी को स्वचालित रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। निवेशक को निवेश प्रोत्साहन देने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नोडल संस्था के बैंक खाते में कम से कम 100 करोड़ रुपये जमा हों। इसकी त्रैमासिक समीक्षा भी की जाएगी।